

न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णिगाँ)

T.S-18/2016

27.07.2022

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है। वादी की ओर से आदेश-22 नियम-4 के अन्तर्गत एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0-1 धीरेन्द्र यादव की मृत्यु दिनांक-06.06.2021 को हो गई। प्रतिवादी सं0-1 धीरेन्द्र यादव के दो पुत्र बिनोद कुमार बिहू एवं नीतीश कुमार एवं एक पुत्री रीमा देवी है। इस वाद में प्रतिवादी सं0-1 के उक्त दोनों पुत्र इस वाद में पक्षकार है, किन्तु पुत्री रीमा देवी पक्षकार नहीं है। प्रतिवादी सं0-1 धीरेन्द्र यादव की पुत्री रीमा देवी को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत कर रीमा देवी को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर No Objection लिखा गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से आदेश-22 नियम-4 के अन्तर्गत दिनांक-25.07.2022 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा No Objection लिखा गया है। प्रतिवादी को उक्त रीमा देवी को इस वाद में प्रतिस्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादी के दिनांक-25.07.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद-पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक-26.08.2022 वास्ते W.S एवं उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश